

2026:एचसी-एलकेओ:20206

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 1076 वर्ष 2026**

आशीष कुमार सिंह

.....आवेदनकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह विभाग लखनऊ एवं अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदनकर्ता के अधिवक्ता	: विवेक कुमार सिंह, फुरकान पठान, प्रिया सिंह
प्रतिवादी के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता, राहुल रोशन दुबे

न्यायालय संख्या -13**माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ लवानिया**

1. इस न्यायालय के पिछले आदेश के अनुपालन में, श्री अभिषेक कुमार सिरोही, थाना प्रभारी, पुलिस थाना- अंतू, जिला- प्रतापगढ़, जिन्होंने आंशिक जाँच की थी, और श्री आनंद पाल सिंह, थाना प्रभारी, पुलिस थाना- पट्टी, जिला- प्रतापगढ़, जिन्होंने जाँच पूरी की थी, न्यायालय में उपस्थित हैं।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री वी. के. शाही एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार श्रीवास्तव राज्य की ओर से, और शिकायतकर्ता/पीड़ित/विपक्षी पक्ष संख्या 2 (संक्षेप में "अभियोक्त्री/पीड़ित") के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल रोशन दुबे को सुना गया, तथा अभिलेख का भी अवलोकन किया गया।
3. यह वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से, धारा 70(1) बीएनएस के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 344/2025, पुलिस थाना- पट्टी, जिला- प्रतापगढ़, में जमानत की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है।
4. इस आवेदन पर जोर देते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक के विरुद्ध अभियोजन का मामला झूठा और मनगढ़ंत है, क्योंकि शिकायतकर्ता/पीड़ित एक सत्यवादी साक्षी नहीं हैं; अतः आवेदक, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जो दिनांक 05.12.2025 से जेल में बंद है, जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. उपरोक्त बातों को सिद्ध करने के लिए, आवेदक के अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष मामले के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत किया, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

(i) पीड़िता/शिकायतकर्ता के अनुसार, सह-आरोपी बद्री प्रसाद वर्मा (कोटेदार), जिसे दोषमुक्त कर दिया गया है, ने पीड़िता का एक अश्लील वीडियो क्लिप बनाया और उसी के आधार पर, सह-आरोपी बद्री प्रसाद वर्मा (कोटेदार) पीड़िता को उसके मूल निवास ग्राम कोहराव, परगना और तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़, से जिला प्रतापगढ़ ले गया। जिला प्रतापगढ़ में पीड़िता को एक फ्लैट में ले जाया गया (फ्लैट जैसे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया गया), और उस फ्लैट में सह-आरोपियों, बद्री प्रसाद वर्मा (कोटेदार), आशीष तिवारी और एक सुरक्षा गार्ड (जिसका नाम नहीं बताया गया है)—ने पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए (बद्री प्रसाद वर्मा, आशीष तिवारी और वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया)।

(ii) मामले के उपरोक्त पहलू के संबंध में, 01.12.2025 की उस प्रार्थना पत्र की प्रति का संदर्भ दिया गया है, जिस पर पीड़िता/शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर हैं और जिसे पुलिस अधीक्षक, जिला प्रतापगढ़ को भेजा गया था (वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र का अनुलग्नक संख्या 2)।

(iii) पीड़िता द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 02.12.2025 के पत्र की प्रति के आधार पर, यह कहा गया है कि उस पत्र को सरसरी तौर पर देखने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि कोई अपराध हुआ है, तो वह सह-आरोपियों, बद्री प्रसाद वर्मा (कोटेदार), आशीष तिवारी और फ्लैट पर मौजूद सुरक्षा गार्ड द्वारा किया गया था।

(iv) अनुलग्नक संख्या 3 के आधार पर, जो सूरज वर्मा (पीड़िता का सगा भाई) के पत्र की प्रति है, यह कहा गया है कि पीड़िता 17.11.2025 से लापता थी, लेकिन पीड़िता के अनुसार, उसका अपहरण सह-आरोपी/बद्री प्रसाद वर्मा (कोटेदार) द्वारा 16.11.2025 को किया गया था। इस प्रकार, पीड़िता एक विश्वसनीय गवाह नहीं है।

(v) धारा 180 और 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज पीड़िता के बयान(नों) की प्रति के आधार पर, यह आगे कहा गया है कि पीड़िता के विरुद्ध, यदि कोई अपराध हुआ है, तो वह सह-आरोपी बद्री प्रसाद वर्मा (कोटेदार) और आशीष तिवारी, तथा साथ ही सुरक्षा गार्ड द्वारा किया गया था; और धारा 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज पीड़िता का बयान यह भी इंगित करता है कि पुलिस कर्मियों ने पुलिस स्टेशन में पीड़िता और उसके भाई के साथ मारपीट की थी।

(vi) जांच के दौरान दर्ज पीड़िता के बयान के आधार पर, जिसकी प्रति पेपर बुक के पृष्ठ 39 पर संलग्न है, यह भी कहा गया है कि उस बयान को सरसरी तौर पर देखने से भी यह स्पष्ट होता है कि अपराध, यदि कोई हुआ है, तो वह बद्री प्रसाद वर्मा

(कोटेदार), आशीष तिवारी और सुरक्षा गार्ड द्वारा किया गया था, न कि आवेदक द्वारा।

(vii) इस प्रकार, आवेदक के विरुद्ध अभियोजन पक्ष की कहानी पूरी तरह से झूठी है और ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस स्टेशन- पट्टी, जिला- प्रतापगढ़ की पुलिस सह- आरोपी बद्री प्रसाद वर्मा (कोटेदार) के साथ मिलीभगत में थी, और बाहरी कारणों से उक्त आरोपी, यानी बद्री प्रसाद वर्मा (कोटेदार) को जांच अधिकारी(यों) (संक्षेप में "आई.ओ.") द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है।

6. यह भी कहा गया है कि इन परिस्थितियों में, इस मामले में किसी स्वतंत्र एजेंसी, जैसे कि क्राइम ब्रांच-क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा नए सिरे से जांच किए जाने की आवश्यकता है; और मामले के इस पहलू पर, आवेदक ज़मानत पर रिहा होने के बाद, कानून के तहत उपलब्ध कानूनी उपायों का सहारा लेगा।

7. आगे यह भी कहा गया है कि राज्य के जवाबी शपथपत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि अनुचित लाभों के आधार पर, सह-आरोपी बद्री प्रसाद वर्मा (कोटेदार) को संबंधित जांच अधिकारी(यों) द्वारा स्वतंत्र गवाहों के बयान दर्ज करके जांच के दौरान दोषमुक्त कर दिया गया है; जबकि आवेदक को, पीड़ित द्वारा नाम न लिए जाने के बावजूद, इस मामले में फंसाकर जेल भेज दिया गया है, और वह 05.12.2025 से जेल में बंद है।

8. यह भी कहा गया है कि यह सच है कि पीड़ित के बयान(बयानों) को हमेशा अंतिम सत्य नहीं माना जाना चाहिए लेकिन प्रस्तुत मामले में, शुरू से ही पीड़ित ने सह-आरोपी बद्री प्रसाद वर्मा (कोटेदार) की संलिप्तता की ओर संकेत/इशारा किया था, और इसके बावजूद संबंधित जांच अधिकारी(यों) द्वारा उसे दोषमुक्त कर दिया गया है।

9. अंत में यह कहा गया है कि मामले के समस्त पहलुओं पर विचार करते हुए विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभियोजन पक्ष के पास वाद के दौरान अपना मामला सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है आवेदक ज़मानत पर रिहा होने का अधिकारी है। ज़मानत पर रिहा होने की स्थिति में, आवेदक ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, वाद की कार्यवाही में सहयोग करेगा, और न ही अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास करेगा।

10. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और विरोधी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने ज़मानत की प्रार्थना का विरोध किया; तथापि, वे आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

11. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों, तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट पर विधिवत विचार करने के उपरांत... और यह तथ्य भी कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक को पहले किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है और वह 05.12.2025 से जेल में है, और साथ ही इस मामले में आवेदक के दोषी ठहराए जाने की संभावनाएँ, तथा धारा 180 और 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज पीड़ित के बयान(नों) को देखते हुए, यह न्यायालय पाता है कि वर्तमान आवेदक को ज़मानत दी जानी चाहिए। तदनुसार, इसे **स्वीकार** किया जाता है।

12. आवेदक- **आशीष कुमार सिंह** को उपर्युक्त वाद अपराध संख्या में 25,000/- रुपये का व्यक्तिगत मुचलका और दो विश्वसनीय ज़मानतदार (जिनमें से एक परिवार का सदस्य/निकट संबंधी हो) प्रत्येक समान राशि का, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ ज़मानत पर रिहा किया जाए:

- (i) आवेदक विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।
- (ii) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।
- (iv) आवेदक कोई अपराध नहीं करेगा।
- (v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने बताने से रोका जा सके, या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- (vi) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक निर्धारित तिथि पर, या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेगा।
- (vii) आवेदक साक्ष्य के लिए निर्धारित तारीखों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा।
- (viii) आवेदक धारा 313 अपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत बयान दर्ज कराने के लिए निर्धारित तिथियों पर, स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

13. उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में, विचारण न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह इसे ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और कानून के अनुसार आदेश पारित करे।

14. चूंकि यह आदेश आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने से संबंधित है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

(न्यायाधीश श्री सौरभ लवानिया)

19 मार्च, 2026

अरुण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।